झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक विविध याचिका सं0 1658 वर्ष 2023

---

1. कर्नाटक एन्टीवायोटिक एण्ड फर्मासेटिकल्स, लि0 द्वारा इसके कंपनी सेक्रेटरी तथा उप महाप्रन्धक (प्रशासन), सुप्रिया कुलकर्णी, पत्नी श्री एम0 गणेश कुमार, उम्र लगभग 40 वर्ष कार्यालय अरका विजिनेश सेन्टर, प्लाट सं0 37, एनटीटीएफ मेन रोड, द्वितीय फेज, पीनया इण्टस्ट्रीयल एरिया, डाकखाना तथा थाना पीनया इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला वेगंलुरू (कर्नाटक)

2. एन0सी0 महेश पुत्र श्री एन0ए0 चन्द्रशेकर ला आयु लगभग 55 वर्ष, अरका बिजिनेश सेन्टर, प्लाट सं0 37, एनटीटीएफ, मेन रोड, द्वितीय फेज, पीनया इण्डस्ट्रीयल एरिया, डाकखाना तथा थाना पीनया इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला वेंगलुरू (कर्नाटक)

3. श्रीमती एन0 चन्द्रा पत्नी श्री एस0 गणेशमूर्ति आयु लगलग 50 वर्ष, अरका विजिनेश सेन्टर, प्लाट सं0 37, एनटीटीएफ, मेन रोड, द्वितीय फेज, पीनया इण्डस्ट्रीज एरिया, डाकखाना तथा थाना पीनया इण्डस्ट्रीज एरिया, जिला वेगलुरू (कर्नाटक)

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. श्री मुंजपाड़ा घनश्याम कुमार सवजी भाई, पुत्र अज्ञात, औषधि निरीक्षक, धनबाद- III , अतिरिक्त प्रभार, जामताड़ा, डाकखाना तथा थाना धनवाद, जिला धनवाद

..... उत्तरदातागण

याची के लिए : श्री दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

: श्री प्रभु डी0 अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक

निर्णय

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनो पक्षकारो को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामला सं0 01 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंव लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (क) (i), 18 (क) (vi) 18 (ख) तथा 27 (घ) के अधीन दण्डनीय

अपराधो के लिए विद्वान सेशन जज, जामताड़ा, द्वारा संज्ञान किया गया है जो अब विद्वान सेशन जज, जामताड़ा, के न्यायालय में लम्बित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि औषधि निरीक्षक ने 23.07.2021 को श्री अरूण कुमार, डिस्ट्रिक्ट स्टोर, सदर हास्पिटल जामताड़ा, से औषधि सिप्रोक्लोक्सिन हाइड्रो क्लोराइड टैवलेट आई0पी0 500 एमजी का नमूना एकत्रित किया था तथा इसे विश्लेषण हेतु सरकारी विश्लेषक के पास भेजा था। 29.12.2021 को सरकारी विश्लेषक ने रिपोर्ट दिया था कि नमूना विलयन के जाँच के सम्बन्ध में आई0पी0 के अनुरूप नही है। परिणाम निम्नवत था:-

स्तर	**परिणाम**	**स्वीकृति मानक**
एसआई (6 टैवलेट)	प्रत्येक अकेले युनिट का निकालना विर्निदिष्ट सीमा ''डी'' 80%+5% से कम पाया गया है। 6 युनिट का औसत औषधि निकाला जाना 27.30% पाया गया था तथा सभी 6 युनिटो को डी 25% के नीचे पाया गया है। टैवलेट-1-29.25% टैवलेट-2-25.16% टैवलेट-3-26.68% टैवलेट-4-26.37% टैवलेट-5-22.58% टैवलेट-6-33.80%	80% से कम नही।

उक्त औषधि को याची सं0 1 द्वारा विनिर्मित किया गया था तथा याची सं0 2 सहायक महाप्रबन्धक, उत्पादन था तथा याची सं0 3 प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण था तथा इस प्रकार दोनो याची संख्या- 2 तथा 3 मानक तक, जिसे होना चाहिए था संबंधित औषधि के उत्पादन तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए सीधे उत्तरदायी थे। रिपोर्ट के साथ नमूना 08.01.2022 को याची सं0 1 को भेजा गया था लेकिन इसका जवाब याची सं0 1 द्वारा नही दिया गया था। पुनः 31.01.2022 को याची सं0 1 से स्पष्टीकरण माँगा गया था। याची सं0 1 ने 16.02.2022 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था तथा मोहर बंद नमूना के एक हिस्से का माँग किया था। इसे 10.03.2022 को याची सं0 1 को भेजा गया था। अंततोगत्वा, 07.06.2022 को याची सं0 1 ने यह सूचित करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था कि याची सं0 2 तथा 3 के पर्यवेक्षण मे, घटिया साइप्रोफ्लोक्सिन हाइड्रो क्लोराइड टैवलेट आई0पी0 500 एमजी विनिर्मित किया गया था। यह अभिकथन करते हुए कि याचिकाकर्तागण ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (क) (i) 18 (क)(vi) 18 (ख) तथा 27 (घ) के अधीन दण्डनीय अपराधों को किया है, सेशन जज, जामताड़ा, के न्यायालय में संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा झारखण्ड राज्य द्वारा अपने स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के जरिए सरकारी परिवाद दर्ज कराया गया था। विद्वान सेशन जज, जामताड़ा ने औषधि एवं प्रसाधन

सामग्री अधिनियम मामला सं0 01 वर्ष 2022 मे आदेश दिनंाक 29.11.2022 द्वारा अभियोजन रिपोर्ट का परिशीलन किया था तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (क)(i), 18 (क)(vi), 18 (ख) तथा धारा 27 (घ) के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने के लिए परिवाद मे उद्धृत मामले के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ पाया था तथा उक्त अपराधों का संज्ञान लिया था।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि याचिकाकर्तागण जो मामले के अभियुक्तगण है, उस क्षेत्र के बाहर स्थान मे रहते है जिसमे कोई मजिस्ट्रेट अपने अधिकारिता का प्रयोग करता है, इसलिए सेशन जज को याचिकाकर्तागण के विरूद्ध आदेशिका का जारी किया जाना आस्थगित करना चाहिए था, जो मामले के अभियुक्तगण हैं तथा या तो स्वयं मामले की जाँच करना चाहिए था या यह विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या इस प्रकार के अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने का निदेश दिया जाना चाहिए था जैसा वह उपयुक्त समझता है कि क्या अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार है या नही। लेकिन विद्वान सेशन जज ने ऐसा नही किया था लेकिन इसके बजाय सीधे सरकारी परिवाद के आधार पर संज्ञान लिया था, अतः यह विधि में संधार्य नही है। अपने निवेदन की पुष्टि करने के लिए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने (2013) 2 एससीसी 435 मे संप्रकाशित उदय शंकर अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य के मामले मे भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमे इस मामले के तथ्यो में जहाँ परिवाद मामले मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 तथा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध अर्न्तवलित है तथा जहाँ परिवाद इफको के अधिकारियों के विरूद्ध प्राइवेट व्यक्ति द्वारा दाखिल कराया गया था लेकिन संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के आज्ञापक शर्तो को पूरा किये बिना, यद्यपि मामले के अभियुक्तगण अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर थे, दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 202 के उद्देश्य पर विचार करते हुए; जैसा संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित है, आदेशिका जारी करने को आस्थगित करने के लिए इसे आज्ञापक बनाते हुए जहाँ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर क्षेत्र में रहता है तथा यह कि संशोधन का उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को बेईमान व्यक्तियो द्वारा तंग किये जाने से बचाना था तथा स्वयं मामले की जाँच करना या अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा कराये जाने का निदेश देना मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी बनाते हुए भारत के मा0 उच्चतम

न्यायालय ने विद्यमान तथ्यों, परिवाद मामले के अभिखण्डन हेतु अन्य न्यायानुमोद्य कारणों पर विचार करते हुए इसे अभिखण्डित किया था।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे 2023 एससीसी आनलाइन झार 517 मे संप्रकाशित कृष्णानंद शास्त्री तथा अन्य बनाम झारखण्ड राज्य, द्वारा औषधि निरीक्षक के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमे इस मामले के तथ्यो में जब मामला विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवघर के न्यायालय में लम्बित था तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेशिका जारी करने को आस्थगित किये बिना यद्यपि अभियुक्तगण इसके अधिकारिता के क्षेत्र के बाहर रह रहे थे, अपराध का संज्ञान लिया था, संज्ञान आदेश अभिखंडित किया था।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे 2022 एससीसी आनलाइन झार 821 मे संप्रकाशित मैथन पावर लिमिटेड द्वारा इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सतीश कुमार तथा एक अन्य बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य के मामले मे इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमे इस मामले में तथ्यो में जहाँ अर्न्तवलित दण्ड अपराध आयकर अधिनियम की धारा 276 (ख) तथा 278 (ख) के अधीन था, जब मामला विशेष जज, आर्थिक अपराध, धनवाद के न्यायालय में लंबित था, इस मामले के तथ्यों में स्वयं द्वारा किये गये विवेचना के संचित परिणाम को ध्यान में रखते हुए, सी0ओ0 मामला सं0 13 वर्ष 2017 के संबंध में विशेष जज, आर्थिक अपराध, धनवाद द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित किया था।

7. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि जैसा इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका के पैरा 6 तथा 8 मे समान रूप से उल्लिखित है, यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 (4) (iii) के अधीन शर्त है कि नमूना एकत्रित करने के समय पर कंपनी को एकत्रित नमूना न सौपना विधि के आज्ञापक प्रावधानो का उल्लंघन है।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे (2018) 15 एससीसी 93 मे संप्रकाशित लेवोरेट फर्मासेटिकल्स इण्डिया लि0 तथा अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका पैरा 7, 8 तथा 9 निम्नवत पठित है:-

> *"7. वर्तमान मामले मे अभिकथित अपराध (अपराधो) का संज्ञान 04.03.2015 को लिया गया था यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं परिवाद 28.11.2012 को दाखिल किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार कफ सीरप स्वयं माह नवम्बर 2012 मे शेल्फ लाइफ खो दिया था। अन्यथा भी, यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि उस तिथि को जब संज्ञान लिया गया था, प्रश्नगत औषधि का शेल्फ लाइफ*

समाप्त हो गया था। इसलिए, मजिस्ट्रेट केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुर्नविश्लेषण हेतु नमूना नही भेज सकता था।

8. सभी पूर्वोक्त तथ्यो से यह प्रदर्शित होता है कि नमूना का केन्द्रीय प्रयोगशाला मे विश्लेषण करवाने के अपीलार्थी के बहुमूल्य अधिकार को अभियोजन द्वारा किये गये, श्रृंखलबद्ध व्यतिक्रमों द्वारा वंचित किया गया है, पहला नमूना के अपीलार्थी विनिर्माता भाग को न भेजने मे जैसा अधिनियम की धारा 23 (4) (iii) के अधीन अपेक्षित है तथा दूसरा न्यायालय की ओर से 04.03.2015 को परिवाद का संज्ञान लेने में यद्यपि इसे 28.11.2012 को दाखिल किया गया था। दोनो अभियोगो पर विलम्ब अपीलार्थीगण पर आरोप्य नही है तथा इसलिए इसका परिणाम अपीलार्थीगण के हित के प्रतिकूलतः कार्य नही कर सकता है। चूँकि अधिनियम के अन्तर्गत निहित पुर्न विश्लेषण हेतु अभियुक्त द्वारा बहुमूल्य अधिकार का उल्लंघन किया गया प्रतीत होता है का औषधि के संभव सेल्फ लाइफ को ध्यान मे रखते हुए मेरी राय है कि आज की तिथि को अभियोजन को यदि जारी रखने की अनुमति दी जाती है, असंतोषजनक अभियोजन होगा।

9. परिणाम स्वरूप तथा संकेत दिये गये कारणो पर मेरी राय है कि वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त के विरूद्ध दाण्डिक विचारण का प्रत्याख्यान करने के लिए उपयुक्त मामला होगा। हम तद्नुसार आदेश देते है। इसलिए 15वे महानगर मजिस्ट्रेट, जार्जटाउन, चेन्नई के फाइल पर लंबित सीसी सं0 263 वर्ष 2015 को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। अपील को अनुज्ञात किया जाता है तथा उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है।

9. याचिकाकर्तागण के विद्धान अधिवक्ता ने आगे दा0 ओ0 पी0 सं0 23942 वर्ष 2015 मे पारित एमबायोटिक लेवोटरीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में मा0 मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय दिनंाक 01.04.2021 पर भरोसा किया है, जिसमे इस मामले के तथ्यो में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र विलयन हेतु जांच में, यदि सीमा मेे अन्तर होता है तब अभियोजन आवश्यक नही होता है। इस मामले के तथ्यों में, औषधि फासफेट वफर दावा के लगभग 10 प्रतिशत को पूरा नही करता है। इस मामले के तथ्यों मे, मा0 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया था कि इसे दूसरे अनुसूची के अनुसार घटिया औषधि के रूप में वर्गीकृत नही किया जा सकता है एवं इसलिए आपराधिक अभियोजन आरंभ नही किया जा सकता है।

10. याचिकाकर्तागण के विद्धान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि यद्यपि मामले को सेशन जज, जामताड़ा के न्यायालय में 16.11.2022 को दर्ज कराया गया था, नमूना याची सं0 2 तथा 3 को सौपा नही गया था जिन्हे अभियुक्त बनाया गया है। अतः यह निवेदन किया गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामला सं0 01 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियाँ जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्धान सेशन जज, जामताड़ा द्वारा संज्ञान लिया गया है जो अब विद्धान सेशन जज, जामताड़ा के न्यायालय में लम्बित है को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

11. दूसरी तरफ राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्धान विशेष लोक अभियोजक ने औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम मामला सं0 01 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियों का अभिखंडन करने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है जिसके द्वारा विद्धान सेशन जज जामताड़ा द्वारा संज्ञान लिया गया है जो अब विद्धान सेशन जज, जामताड़ा के न्यायालय मे लंबित है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आगे निवेदन किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 15 मेे आता है मात्र मजिस्ट्रेट को परिवादो के संबंध में लागू होता है तथा यह ऐसा मामला है जिसे विशेष कानून के अधीन संस्थित किया गया गया है जहां परिवाद विद्धान सेशन जज, जामताड़ा को किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 का परन्तुक यह पर्याप्त तरीके से स्पष्ट करता है कि अन्वेषण हेतु निदेश वहाँ लागू नही होता जहाँ मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध जिसके बारे में परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आगे यह निवेदन किया गया है कि संशोधन 2005 का उद्देश्य किसी परिवाद में अभियुक्त के रूप मे नामित व्यक्ति को अनावश्यक, तुच्छ या सारहीन परिवाद का सामना करने के लिए बुलाये जाने से रोकना तथा ज्ञात करना है कि क्या परिवाद मे किये गये अभिकथनो का समर्थन करने के लिए कुछ सामग्री है। लेकिन इस मामले में जहाँ स्वयं सरकारी परिवाद को झारखण्ड राज्य द्वारा सेशन न्यायालय में संस्थित किया गया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 का अननुपालन सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने के लिए न्यायनुमोद्य कारण नही होगा, अतः राज्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्राइवेट वादकारी की भाँति अभियोजित नही कर सकता है। आगे निवेदन किया गया है कि धारा 18 (क) के अधीन विनिर्माता के नाम के प्रकटन के बाद, नमूना का एक हिस्सा याची सं0 1 को औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 (4) (iii) तथा नियमावली 1945 के अधीन प्रावधान के अनुपालन में उपलबध कराया गया है।

12. विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यद्यपि नमूना के साथ रिपोर्ट को याची सं0 1 को 10.03.2022 को भेजा गया था लेकिन याची सं0 1 ने औषधि निरीक्षक या न्यायालय को लिखित अधिसूचित नही किया गया है कि वह रिपोट के प्रति के प्राप्त करने के 28 दिनो के अन्दर रिपोर्ट के उल्लंघन में साक्ष्य पेश करना चाहता है तथा मात्र 07.06.2022 को काफी विलम्ब के बाद, इसने रिपोर्ट का जवाब दिया है। इस प्रकार की परिस्थितियो में याचिकाकर्तागण के पास साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए समझे गये इसके रिपोर्ट की प्रतिरक्षा करने का वैध आधार नही है तथा अधिक से अधिक, याची मामले के विचारण के दौरान इस प्रकार का अभिवाक् ले सकता था लेकिन निश्चित रूप से यह सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखंडन करने के लिए आधार नहीं है, अतः यह निवेदन किया गया

है कि इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

13. न्यायालय मे किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख मे उपलब्ध सामग्रीयों का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् जहां तक आदेशिका जैसा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में उल्लिखित है के मुल्तवी किये जाने के अननुपालन के संबंध मे याचिकाकर्तागण के तर्क का संबंध है, निर्विवादित तथ्य है कि परिवाद विद्धान सेशन जज जामताड़ा के न्यायालय में दाखिल किया गया था। परिवाद ग्रहण किये जाने के संबंध में विद्धान सेशन जज, जामताड़ा की अधिकारिता विवादित नही है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 को स्पष्टतया पढ़ने से काफी स्पष्ट है कि उक्त प्रक्रिया मजिस्ट्रेट को किये गये परिवादों के संबंध में लागू होता है। लेकिन इस मामले का तथ्य पूर्णतया भिन्न है क्योकि इस मामले में, विशेष कानून के अन्तर्गत, सेशन जज, शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार, सेशन जज द्वारा विधि के प्रावधान का अननुपालन, जो प्रावधान केवल मजिस्ट्रेट के लिए आज्ञापक है; इस न्यायालय के सुविचारित राय मे, स्वयं द्वारा संपूर्ण दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने के लिए पर्याप्त आधार नही है तब जब परिवाद स्वयं झारखण्ड राज्य द्वारा संस्थित किया गया है जो दाण्डिक विचारण के कठोरता का सामना करने वाले किसी अभियुक्त को तंग करने के बारे में पर्याप्त विस्तार तक मिथ्या आलिप्त किये जाने का वर्जन करता है। अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्तागण के तर्क के इस भाग में कोई गुणावगुण नही है।

14. जहाँ तक उन व्यक्तियो जिनका नाम, पता तथा अन्य विशिष्टयों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत बताया गया है को भेजे जाने वाले तीसरे नमूना के संबंध में याचिकाकर्तागण के तर्क का संबंध है, सर्वप्रथम इस आशय का इस सम्पूर्ण दा0 प्र0 या0 में कोई प्रकथन नही है कि औषधि निरीक्षक ने याचिकाकर्तागण को नमूना के तीसरे हिस्से को नही दिया है, उलटे प्रति शपथ पत्र द्वारा आया है कि नमूना याची सं0 1 को भेजा गया था। याची सं01 का मामला यह है कि याची सं0 1 सिविल सर्जन-सह-सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जामताड़ा के समक्ष इसके द्वारा किये गये प्रकटन के अनुसार घटिया औषधि का विनिर्माता है। यह सत्य है, वर्तमान दा0 प्र0 या0 के पैरा-11 में याचिकाकर्तागण द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि नमूना याची सं0 2 तथा 3 को सौपा नही गया था; इसके द्वारा स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि इसे याची सं0 1 को सौपा गया था। अन्यथा, यह अभिबचन किया गया होता कि नमूना याचिकाकर्तागण को सौपा नही गया था। याची सं0 2 तथा 3 प्रश्नगत घटिया औषधि के विनिर्माता नही है बल्कि याची सं0 1 उक्त औषधि का विनिर्माता है तथा याची सं0 2 तथा 3 को अभियुक्तगण के रूप मे सूचीबद्ध किया गया है क्योकि इनके पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में इस प्रकार के घटिया औषध का निर्माण किया था। इसलिए ये लोग

विधि के अनुसार इस नमूना को दिये जाने के हकदार नही हे, अतः इन्हे नमूना के न दिये जाने का कोई विधिक परिणाम नही होता है।

15. इन परिस्थितियो में, किसी विनिर्दिष्ट प्रकथन के अभाव मे कि नमूना का तीसरा हिस्सा उस व्यक्ति को भेजा नही गया था जिसका नाम, पता तथा अन्य विशिष्टयो को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (क) के अधीन बताया गया है, नमूना के तीसरे हिस्से को भेजने के लिए विधि की आज्ञापक शर्त जिनका नाम अधिनियम की धारा 18 (क) के अधीन बताया गया हैं इस मामले में याचिकाकर्तागण के लिए सहायक नही होगा क्योकि इस बात का अभिकथन नही है कि घटिया टैवलेट का शेल्फ लाइफ समाप्त हो गया है।

16. जहाँ तक इमबायोटिक लैवोटरीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ (ऊपर) के मामले में मा0 मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यह मामले के तथ्यो मे अननुपालन लगलग 10 प्रतिशत मानक का है। लेकिन इस मामले मे जैसा इस निर्णय के पूर्वगामी पैरा मे ऊपर पहले ही बताया गया है अननुपालन काफी अधिक है। अतः इमबायोटिक लैवोटरीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ (ऊपर) का विनिश्चयाधार याचिकाकर्तागण के लिए मददगार नही है।

17. अब, मामले के तथ्यो पर आते है, जैसा इस मामले मे ऊपर पहले ही बताया गया है, यद्यपि स्वीकृति मानक औषधि के निकाले जाने हेतु 80 प्रतिशत से कम नही था लेकिन छह युनिटो का औसत औषधि निकाला जाना 27.30 प्रतिशत पाया गया था। इसलिए विहित मानक के अननुपालन का भारी अंतर है। अतः इमबायोटिक लेवौटरीज प्रा0 लि0 तथा अन्य बनाम भारत संघ (ऊपर) के मामले में मा0 मद्रास उच्च न्यायालय के मामले के तथ्य इस मामले के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने के नाते, यह याचिकाकर्तागण के लिए सहायता नही देता है।

18. ऊपर किये गये विवेचनाओं के कारण, यह न्यायालय इस दा0प्र0या0 मे कोई गुणावगुण नही पाता है। तद्नुसार, इसे सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाता है।

19. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटाये जाने के दृष्टिगत, आई0ए0 सं0 11308 वर्ष 2023 को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

दिनांक 7 फरवरी, 2024

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)